राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 752/2025

भगवान सिंह राठौड़

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर, रेंज अजमेर, राजस्थान।
4. पुलिस अधीक्षक, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 07.02.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री कुनाल रावत, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार आलौच्य आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–1) पुलिस महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान द्वारा जारी किया गया, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला अजमेर से जीआरपी अजमेर में किया गया है। अपीलार्थी को एलडीसी से यूडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया था और इसके लिए अपीलार्थी को जीआरपी, अजमेर में पदस्थापना दी गई थी। अपीलार्थी ने हाल ही में 2023–24 और 2024– 25 की रिक्तियों के अनुसार पदोन्नति दी है और इसमें अपीलार्थी को जिला अजमेर से जीआरपी अजमेर में स्थानांतरित किया गया है। वर्षवार 2024– 25 की रिक्तियों के लिए आदेश संख्या 4106 दिनांक 03.12.2024 के अनुसार अपीलार्थी को पदोन्नति दी गई थी और उसी पत्र में पदोन्नत किए गए सभी लोगों से नई पोस्टिंग के लिए 3 विकल्प देने को कहा गया था। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 09.12.2024 (अनुलग्नक–2) को लिखे अपने पत्र में जिला अजमेर को अपनी प्राथमिकता दी है। अपीलार्थी से वरीयता स्थान के बारे में पूछा गया था और अपीलकर्ता को तीन नाम देने थे और अपीलकर्ता से प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 10482 दिनांक 18.12.2024 के माध्यम से पूछा गया था, इसके लिए अपीलार्थी ने अपने विकल्प दिए थे तथा जिसमें अपीलार्थी ने निर्दिष्ट किया था कि पारिवारिक कारणों से अपीलकर्ता को जिला अजमेर में स्थान दिया जा सकता है।

(अनुलग्नक–3) दिनांक 10.01.2025 के आदेश के अनुसार, श्री शेर सिंह, श्री राजू कुमार, श्री सुरेश कुमार और श्री मोहित यादव नामक 4 लोगों को जिला अजमेर में पदस्थापना दी गई थी। (अनुलग्नक–4) जिला अजमेर में यूडीसी के लिए कुल रिक्तियों की संख्या 7 है और केवल 3 को जिला अजमेर के रूप में पदस्थापना दी गई है, तथा 2 पद रिक्त रखे गए हैं। जिला अजमेर में सीटें उपलब्ध होने के बावजूद, प्रत्यर्थी विभाग ने जानबूझकर अपीलार्थी को जिला अजमेर में नियुक्ति का स्थान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वे ही सर्वोत्तम रूप से जानते हैं। अपीलार्थी ने दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–6) को एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया है, जिसको प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अनुत्तरित लौटा दिया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आलौच्य आदेश दिनांक 14.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया हुआ है, जो निर्णय हेतु लम्बित है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन जो प्रत्यर्थी विभाग के निर्णय हेतु लम्बित है, प्रत्यर्थी विभाग का सक्षम अधिकारी अपीलार्थी के लम्बित अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 15 दिवस की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य